राजस्थान की राजव्यवस्था

हस्तलिखित नोट्स

www. EducationLiB.com

(हिंदी माध्यम)

Scanned with OKEN Scanner

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री (भाग - VI) अनुच्छेद - 164

- → नियुक्ति – अनुच्छेद - 164 (1)
- → अनु. 164 (1)क – 91वां संविधान संशोधन 2003
  ↓
  15% मंत्रिपरिषद (मुख्यमंत्री सहित)
- → उत्तरदायित्व (मंत्रिपरिषद) - 164 (2)
- → शपथ – अनुच्छेद - 164 (3)
- → योग्यता – अनुच्छेद - 164 (4)
- → वेतन व भत्ते - अनुच्छेद - 164 (5)

www. EducationLiB.com

★ मुख्यमंत्री का पूर्व में पदनाम – प्रधानमंत्री

★ राजस्थान के पहले व अंतिम प्रधानमंत्री – हीरालाल शास्त्री

★ राजस्थान स्थापना दिवस – 1 नवम्बर

राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री

- पहले → हीरालाल शास्त्री
- दूसरे → C.S. वेंकटाचारी
- तीसरे → जयनारायण व्यास

Scanned with OKEN Scanner

* राजस्थान के पहले निर्वाचित व मनोनित एकमात्र मुख्यमंत्री -
  - जयनारायण व्यास
* सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री - मोहनलाल सुखाड़िया (17 वर्ष)
* पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री - टीकाराम पालीवाल
* पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री - भैरोसिंह शेखावत
* पहले पद पर रहते हुए मृत्यु व मुस्लिम मुख्यमंत्री -
  ↳ बरकतुल्लाह खान
* एकमात्र विकलांग मुख्यमंत्री - हरिदेव जोशी
* पहले दलित मुख्यमंत्री - जगन्नाथ पहाड़िया
* वित्त आयोग व विधानसभा में अध्यक्ष रहने वाले मुख्यमंत्री
  ↳ हीरालाल देवपुरा
* जादूगर मुख्यमंत्री - अशोक गहलोत
* वर्तमान मुख्यमंत्री - भजनलाल शर्मा
* राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री - वसुंधरा राजे सिंधिया

www.EducationLib.com

Scanned with OKEN Scanner

★ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ★

- → मुख्यमंत्री / मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है।
- → राज्य की सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है।
- → केन्द्र में जो प्रधानमंत्री की स्थिति होती है वह राज्य मे मुख्यमंत्री की स्थिति होती है।
- → अनुच्छेद -163 - राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा।
- → अनुच्छेद -164 - मुख्यमंत्री / मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।
- → राज्यपाल विधानसभा मे बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा।
- → राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यो को शपथ दिलाता है।
- → मुख्यमंत्री / मंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देगा।
- → मुख्यमंत्री / मंत्री विधानमण्डल के किसी भी सदन में सदस्य होना आवश्यक है।
- → ऐसा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री / मंत्री बनाया जा सकता है जो विधान मण्डल का सदस्य नही हो परन्तु उसे 6 माह के अंदर सदस्यता लेना आवश्यक है।

www.EducationLibz.com

Scanned with OKEN Scanner

→ मंत्रियो को विभागो का बंटवारा मुख्यमंत्री द्वारा होगा।

→ मंत्री अपने विभाग के राजनीतिक प्रमुख होते है।

→ सभी मंत्री अपने कार्यो के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते है।

→ मंत्रिपरिषद् व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है।

→ यदि मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे / मृत्यु हो जाए तो मंत्रिपरिषद् स्वत: ही भंग हो जाएगी।

→ 91वें संविधान संशोधन 2003 मे मंत्रिपरिषद में सदस्यो की संख्या अधिकत्तम विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नही होनी चाहिए।

★ राजस्थान में = 30

न्यूनत्तम संख्या - 12

→ मंत्रिपरिषद → 3 प्रकार के मंत्री होते है।

① केबिनेट मंत्री - अपने विभाग के प्रमुख।

└→ सर्वोच्च स्तर के मंत्री / मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र

★ बडे और महत्वपूर्ण विभाग — मंत्रिमण्डल

② राज्य मंत्री - केबिनेट मंत्रियो के सहायक मंत्रि

① स्वतंत्र प्रभार ② राज्यमंत्री

③ उपमंत्री - केबिनेट मंत्री / राज्यमंत्री सहायता

★ संसदीय सचिव → नियुक्ति - मुख्यमंत्री द्वारा, शपथ - मुख्यमंत्री द्वारा

└→ मंत्रियो की समस्त सुविधाएं दी जाती है लेकिन मंत्रिपरिषद का सदस्य नही होता है।

www.EducationHiBcom

Scanned with OKEN Scanner

राज्यपाल

राज्यपाल (भाग-VI) अनुच्छेद (153-162)

- राजस्थान के पहले व अंतिम राजप्रमुख → सवाई मानसिंह -II (30 मार्च 1949)
- राजस्थान के प्रथम राज्यपाल → गुरुमुख निहालसिंह (सर्वा. कार्यकाल)
- राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल → प्रतिभा पाटिल (2004-07)
- पद पर रहते मृत्यु होने वाले पहले राज्यपाल → दरबारा सिंह (1998)
- पद पर रहते मृत्यु होने वाली प्रथम महिला राज्यपाल → प्रभा राव (2010)

- वर्तमान राज्यपाल (16वीं विधानसभा) - कलराज मिश्र (44वें)
- राज्यपाल पद का उल्लेख - अनुच्छेद 153 में
- राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां - अनुच्छेद - 154 में
- राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख - अनुच्छेद - 155 में
- राज्यपाल का कार्यकाल - अनुच्छेद - 156 में
- राज्यपाल की योग्यता - अनुच्छेद - 157 में
- राज्यपाल की शर्तें - अनुच्छेद - 158 में
- राज्यपाल की शपथ - अनुच्छेद - 159 में
- राज्यपाल की शक्तियां - अनुच्छेद - 161 में

www.EducationLiB.com

Scanned with OKEN Scanner

अनुच्छेद - 153 →

- → प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा
- → 7वां संशोधन 1956 :- एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद - 154 →

- → राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है।
- → राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधिनस्थ अधिकारियों या स्वविवेक से करेगा।
- → राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है।
  अर्थात वास्तविक शक्तियां CM या मंत्रिपरिषद के पास है।

अनुच्छेद - 155 →

- → राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- → राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री | मंत्रिपरिषद ने की है।
- → राज्य के नागरिक को उसी राज्य मे राज्यपाल नही नियुक्त किया जाता है।

अनुच्छेद - 156 →

- → राज्यपाल का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है।
- → कार्यकाल के दौरान वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा।
- → राज्यपाल की उसी राज्य या दूसरे राज्य में पुनरनियुक्ति की जा सकती है।

www. EducationLiB.com

Scanned with OKEN Scanner

अनुच्छेद - 157 → योग्ताएं

① वह भारत का नागरिक हो।

② 35 वर्ष की आयु पूर्ण किए हुआ हो।

अनुच्छेद - 158 → राज्यपाल पद की अन्य शर्ते

- लाभ के पद पर नियुक्त व्यक्ति राज्यपाल नही हो सकता
- सांसद / विधायक की राज्यपाल पद पर नियुक्ति की जाने पर पद ग्रहण करने की तारीख से वह पद समाप्त हो जायेगा।
- वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है।
- वेतन - 3.50 लाख प्रतिमाह
- कार्यकाल के दौरान आपराधिक मुकदमो में गिरफ्तारी नहीं हो सकती है।
- संयुक्त राज्यपाल है तो कौनसा राज्य कितना वेतन देगा। इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा।

www.EducationLib.com

अनुच्छेद - 159 → शपथ

- राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश / वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है।
- राज्यपाल संविधान / विधि के संरक्षण, प्रतिरक्षण व परिरक्षण की शपथ लेता है।

अनुच्छेद - 160 →

- ऐसे विषय जिनका उल्लेख संविधान में नही है। उनके कर्तव्यो का निर्वहन राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से करेगा।

Scanned with OKEN Scanner

→ राज्यपाल का पद आकस्मिक रिक्त →
↓
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राज्यपाल होगा या राष्ट्रपति पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरीक्त कार्यभार सौंफ सकता है।

→ राज्यपाल का स्थानांतरण दूसरे राज्य में राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है वहां पर वह राज्यपाल शेष अवधि के लिए कार्य करेगा।

राज्यपाल की शक्तियां →

★ कार्यपालिका शक्तियां :-

- → राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है।
- → राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किये जाते है।
- → अधिकारियो की नियुक्तियां।
- → मुख्यमंत्री / मंत्रिपरिषद की नियुक्ति।
- → महाधिवक्ता की नियुक्ति।

www.EducationLiB.com

★ संवैधानिक शक्तियां :-

- → RPSC के अध्यक्ष व सदस्यो की नियुक्ति।
- → राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यो की नियुक्ति।
- → SC/ST/OBC के आयोग अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति।
- → राज्यपाल राज्य के वि. विद्यालय का कुलाधिपति होता है।
  - ↳ कुलपति की नियुक्ति करता है।
- → मुख्यमंत्री से सरकार द्वारा किए गये कार्यो की सूचना देना।
- → राज्य में राष्ट्रपति शासन लागु करने की सिफारिश।

Scanned with OKEN Scanner

★ विधायी शक्तियां →

→ राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का प्रमुख अंग है।

→ विधानसभा के सत्र आहुत / सत्रावसान / विघटित करने की शक्ति

→ नव गठित विधान सभा के प्रथम सत्र व प्रतिवर्ष विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है।

→ विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत।

→ विधान परिषद में कुल सदस्यो के $\frac{1}{6}$ सदस्यों को मनोनीत करता है

→ अध्यादेश जारी करने की शक्ति - अनु.- 213

→ विधानसभा के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर कार्य संचालन के किसी भी इन पदो पर नियुक्त।

www.EducationLiB.com

★ वित्तिय शक्तियां →

→ विधानसभा में प्रतिवर्ष सरकार का बजट को रखवाता है। जिसे राज्य का वित्तमंत्री प्रस्तुत करता है।

→ राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण।

→ राज्य वित्त आयोग का गठन करता है।

→ धन विधेयक / वित्त विधेयक पर राज्यपाल की पुर्वानुमति।

★ न्यायिक शक्तियां →

→ अनु-161 के अनुसार - राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त।

→ राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायधीशो की नियुक्ति / पदोन्नति से पूर्व राज्यपाल से सलाह करता है।

Scanned with OKEN Scanner

महाधिवक्ता

- महाधिवक्ता - अनुच्छेद (165)
- केन्द्र में जो कार्य महान्यायवादी (अनु.-76) केन्द्र सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी के रूप में करता है।
- वही कार्य राज्य में महाधिवक्ता राज्य सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी के रूप में करता है।

- **नियुक्ति** - राज्यपाल
- **शपथ** - राज्यपाल
- **त्यागपत्र** - राज्यपाल
- **कार्यकाल** - अनिश्चित। राज्यपाल इन्हे कभी भी हटा सकते है।

- **राजनीतिक नियुक्ति** → सरकार बदलने पर यह स्वयं ही पद से हट जाते है।

www.EducationLiB.com

कार्य :-

- राज्य सरकार में सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में कार्य करना।
- राज्य सरकार के विरुद्ध मामलों में सरकार की पैरवी करता है।
- जो विधानसभा का सदस्य नही है लेकिन बैठको में भाग लेता है। वोट नही दे सकता।

Scanned with OKEN Scanner

~~उ~~ योग्यतायें :-

- वह भारत का नागरिक हो।
- वह उच्च न्यायालय का न्यायाधिश बनने की योग्यता रखता हो।
- अधिनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी व उच्च न्यायालय में 10 वर्ष की वकालत का अनुभव।
- नियुक्ति की सिफारिश मुख्यमंत्री परिषद करता है।

★ प्रथम - गुलाबचंद कासलीवाल

★ वर्तमान - राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

www.EducationLiB.com

Scanned with OKEN Scanner

उच्च न्यायालय

(अनु. 214 से 231)

अनुच्छेद. 214 – प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा-
→ 1 मुख्य न्यायधीश + कुछ अन्य न्यायधीश होंगे।

अनुच्छेद - 231 – संसद द्वारा कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों का 1 संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है.

★ राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है।

★ भारत में कुल (25) उच्च न्यायालय है।
- 1862 में – कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय
- 1866 में – इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना।

★ केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है।
↓
स्थापना – 1966

संयुक्त न्यायालय

① गुवाहाटी – असम, नागालैण्ड, मिजोरम, आंध्रप्रदेश

② कलकत्ता – पश्चिम बंगाल + अण्डमान व निकोबार

③ चण्डीगढ – पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ

www.EducationLiB.com

Scanned with OKEN Scanner

④ मुम्बई - महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली व दमन द्वीव

⑤ चेन्नई - तमिलनाडु, पुदुचेरी

⑥ एर्नाकुलम - केरल, लक्षद्वीप।

☞ नियुक्ति :- राष्ट्रपति द्वारा।

★ पूर्व सलाह :- ① भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह।

② संबंधित राज्यपाल से सलाह।

③ संबंधित H.C के मुख्य न्यायाधीश।

www.EducationLiB.com

☞ शपथ :- राज्यपाल

☞ त्यागपत्र :- राष्ट्रपति

☞ कार्यकाल :- 62 वर्ष की आयु तक।

★ उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार और अक्षमता के आधार पर संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा समय से पूर्व हटाया जा सकता है।

★ राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जा सकता है।

☞ संख्या - राष्ट्रपति द्वारा तय।

Scanned with OKEN Scanner

→ वेतन / भत्ते :- संसद द्वारा

→ वेतन - राज्य की संचित निधि द्वारा।

→ पेंशन - भारत की संचित निधि से।

योग्यताएं :→ ① वह भारत का नागरिक हो।

② वह भारत के किसी न्यायालय में 10 वर्ष का न्यायिक अधिकारी का अनुभव होना चाहिए।

③ वह H.C में 10 वर्ष का वकालत कार्य का अनुभव होना चाहिए।

राजस्थान उच्च न्यायालय

www.EducationLiB.com

○ गठन :- 29 अगस्त 1949 को जयपुर में

→ सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में स्थानांतरित - जोधपुर

★ (1977) में खण्डपीठ स्थापित - जयपुर में

★ वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या (50) है लेकिन वास्तविक संख्या (34) है।

★ प्रथम मुख्य न्यायाधीश - कमलकांत (K.K) वर्मा

★ वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश - मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव (42वें)

★ प्रथम महिला न्यायाधीश - कांता भटनागर

★ HC में 3 महिला न्यायाधीश।

Scanned with OKEN Scanner

राज्य विधानमण्डल

विधानमण्डल (अनु.- 168)

→ राज्य की व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती है।
↓
(राज्यो के कानूनो का निर्माण)

→ दो सदन - ① विधानपरिषद् ② विधानसभा

→ द्विसदनीय व्यवस्था - 6 राज्यो में दोहरा सदन।

① कर्नाटक ② उत्तरप्रदेश ③ बिहार ④ महाराष्ट्र
⑤ आंध्र प्रदेश ⑥ तेलंगाना

→ अधिकतर राज्यों में एकसदनीय विधानमण्डल है - (22) राज्य

→ दो केन्द्र शासित प्रदेश में विधानसभा स्थापित है
↓
69 वां संविधान संशोधन - 1991

(i) दिल्ली
(ii) पुदुचेरी

→ विधानमण्डल के अंग - ① विधान परिषद् ② विधानसभा ③ राज्यपाल

विधान परिषद

↓
अनुच्छेद - 169

→ किसी राज्य में विधान परिषद् के गठन / समाप्त करने की शक्ति संसद में निहित है।

www.EducationLib.com

Scanned with OKEN Scanner

→ जब संबंधित राज्य की विधानसभा $\frac{2}{3}$ बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को भेजे।

→ उच्च सदन व स्थायी सदन होता है।

→ सदस्यो का 6 वर्ष तक कार्यकाल – प्रति 2 वर्ष बाद $\frac{1}{3}$ सदस्य सेवानिवृत।

③ योग्यताएं →

→ वह भारत का नागरिक हो।

→ किसी भी लाभ के पद पर न हो।

→ आयु - 30 वर्ष

→ चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग।

→ अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली।

www. EducationLiB.com

③ गठन →

⊙ $\frac{1}{3}$ सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा।

⊙ $\frac{1}{3}$ सदस्य पंचायतीराज, जिला बोर्ड, नगर निकायों के सदस्यों के द्वारा।

⊙ $\frac{1}{6}$ राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते है।
(साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवा सहकारिता)

⊙ $\frac{1}{12}$ सदस्य - 3 वर्ष से स्नातक डिग्री प्राप्त।

⊙ $\frac{1}{12}$ सदस्य - अध्यापन का अनुभव।

Scanned with OKEN Scanner

→ न्यूनतम सदस्य - 40, अधिकतम सदस्यों के कुल सदस्यो का $\frac{1}{3}$ तक।

→ गणपूर्ति - $\frac{1}{10}$

→ सदस्य - शपथ - विधानपरिषद के सभापति।

→ त्यागपत्र - सभापति को।
  └→ 6 माह के अन्दर चुनाव - शेष अवधि के लिए।

विधानसभा

↓

अनुच्छेद - 170

→ निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन।

→ चुनाव - प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा

→ न्यूनतम सदस्य - 60, अधिकतम - 500

- पुदुचेरी - 30
- सिक्किम - 32
- गोवा - 40
- मिजोरम - 40
- U.P - 403
- W.B - 294
- M.H - 288
- राजस्थान - 200

★ राजस्थान में पहले 160 सीटे थी, 6वीं विधानसभा मे बढ़कर 200 सीट हुई।

★ 200 में से 34 अनुसूचित जाति व 25 अनुसूचित जनजाति हेतु सीटे आरक्षित है

★ अनुच्छेद 333 के अनुसार - 1 आंग्ल भारतीय मनोनीत

www. EducationLiB.com

Scanned with OKEN Scanner

☞ योग्यता :-
→ वह भारत का नागरिक हो।
→ कोई लाभ के पद पर न हो।
→ आयु - 25 से कम ना हो।

★ गणपूर्ति - $\frac{1}{10}$ सदस्य।

★ वर्ष में दो बैठक अनिवार्य, दोनो बैठको के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतर नही होगा।

☞ कार्यकाल - प्रथम बैठक से 5 वर्ष का कार्यकाल।

★ राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से कभी भी विधानसभा को भंग कर सकता है।

☞ शपथ - राज्यपाल द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर द्वारा।
↓
(अस्थायी अध्यक्ष)

☞ त्यागपत्र - विधानसभा के अध्यक्ष को देंगे।
→ 6 माह के अंदर चुनाव होंगे। नया सदस्य शेष अवधि के लिए कार्य करेगा।

→ अध्यक्ष / उपाध्यक्ष :- विधानसभा के सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष / एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं।

→ धन विधेयक का निर्धारण विधानसभाध्यक्ष करता है।

www.EducationLiB.com

Scanned with OKEN Scanner

→ दल-बदल के विषय में विधायकों की योग्यता और अयोग्यता का निर्धारण विधानसभाध्यक्ष करता है।

→ एक व्यक्ति यदि दो सदस्य चुना जाता है तो एक सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ेगा – 14 दिन में

→ 60 दिन अनुपस्थित - सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है।

→ वेतन – संसद द्वारा निर्धारित वेतन / भत्ते ।

राजस्थान में विधानसभा

www.EducationLiB.com

★ प्रथम विधानसभा का गठन – 29 फरवरी 1952

★ प्रथम बैठक – 31 मार्च 1952

★ ↳ कार्यकाल – 1952 से 1957

↳ सीटें – 160

★ प्रथम अध्यक्ष - नरोत्तमलाल जोशी

★ प्रथम उपाध्यक्ष - लालसिंह शक्तावत

★ प्रथम प्रतिपक्ष नेता - कुंवर जसवंतसिंह

★ प्रोटेम स्पीकर – महाराव संग्रामसिंह

★ IInd विधानसभा में सीटें - 176 ★ IIIrd - 176

★ IVth - 184 ★ Vth – 184

★ VIth – 200

↓

आज तक – 200

Scanned with OKEN Scanner

* प्रथम महिला अध्यक्ष – सुमित्रा सिंह
* प्रथम महिला उपाध्यक्ष - तारा भंडारी
* प्रथम महिला विधायक - ~~अ~~ यशोदा देवी
* प्रथम लोकसभा सांसद – गायत्री देवी
* प्रथम महिला राज्यसभा सांसद - शारदा भार्गव

* सर्वाधिक समय वाली विधान सभा - 5 वीं
* समय से पूर्व भंग होने वाली पहली विधानसभा – 6 वीं
* EVM का पूर्णतः प्रयोग - 12 वीं विधानसभा में

वर्तमान - 16 वीं विधानसभा
(2023 – 2028)
अध्यक्ष - वासुदेव देवनानी
प्रतिपक्ष नेता - टीकाराम जूली
प्रोटेम स्पीकर - कालीचरण सर्राफ

www.EducationLib.com

Scanned with OKEN Scanner

स्थानीय स्वशासन

पंचायती राज व्यवस्था

→ अनुच्छेद 243 से 243 (O) तक, भाग - 9

→ प्रारम्भ में द्विस्तरीय सरकार - ① केन्द्र सरकार
② राज्य सरकार

→ 73 वां संविधान संशोधन 1992 मे तीसरा स्थानीय स्वशासन को कानूनी रूप दिया। (पंचायती राज व नगर निकाय)

→ चोल राजवंश में स्थानीय स्वशासन का स्पष्ट उल्लेख है।

→ अंग्रेजो द्वारा 1687 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की।

→ गवर्नर जनरल लार्ड रिपन - स्थानीय स्वशासन का जनक

→ नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद - 40 में पंचायती राज का उल्लेख है।

★ राजस्थान में पंचायतीराज विभाग की स्थापना - 1949

→ 2 Oct. 1952 को केन्द्र सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरूआत की।

→ बलवंत राय मेहता समिति - 1957
└→ त्रिस्तरीय व्यवस्था -
① ग्राम पंचायत
② पंचायत समिति
③ जिला परिषद

www.EducationlB.com

Scanned with OKEN Scanner

→ बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश पर 02 oct. 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हुई।
↓
- स्थान - बगदरी गांव (नागौर)
- किसने की - जवाहरलाल नेहरू, Cm. मोहनलाल सुखाड़िया

→ सदिक अली समिति - 1964 → राजस्थान सरकार द्वारा गठित

→ गिरधारी लाल व्यास समिति - 1973 → राज. सरकार द्वारा गठित समिति।
  → इसकी सिफारिश से ही ग्राम सेवक /सचिव पद का गठन किया गया।

www. EducationLiB.com

→ अशोक मेहता समिति - 1977 → केंद्र सरकार द्वारा गठन।
  → द्विस्तरीय व्यवस्था → ① जिला परिषद्
  ② पंचायत समिति

→ लक्ष्मीमल सिंघवी समिति - 1986
  → स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा।
  → इसकी सिफारिश पर पंचायतीराज को संवैधानिक रूप दिया।
  → 73 वां संविधान संशोधन - 1992 के अनुसार
    ↓
    भाग-9 व अनु. 243 — 243(0) तक
  ↓
11वी अनुसूची जोड़ी गई जिसमें (29) विषय रखे गये।

Scanned with OKEN Scanner

→ 24 अप्रैल 1993 को देश में कानून लागु।
  └→ राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस

→ 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज Act लागु।

☞ योग्यताएं :- उम्र 21 वर्ष
- निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो।
- नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान नही होनी चाहिए।

☞ आरक्षण :- obc | ST | Sc – आरक्षित
- महिला आरक्षण – 50%.

www. EducationLiB.com

☞ कार्यकाल :- प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक।

→ कोई भी पद रिक्त होने पर शेष अवधि के लिए 6 माह के अन्दर चुनाव होना आवश्यक है।

☞ चुनाव :- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा – अनु - 243(k)

☞ राज्य वित्त आयोग :-
- → 1 अध्यक्ष + 4 अन्य सदस्य।
- → गठन – प्रति पांच वर्ष बाद राज्यपाल करता है।
- → कार्य – पंचायती राज | नगरीय निकायों की वित्तिय स्थिति

Scanned with OKEN Scanner

की समीक्षा करना और राज्य निधि से इन संस्थाओं की कितनी सहायता दी जाए - इसकी सिफारिश करना।

→ **प्रथम वित्त आयोग** - 1995 - 2000 तक।
↓
अध्यक्ष - कृष्ण कुमार गोयल

→ **6वें वित्त आयोग** - 2020 से 2025 तक।
↓
अध्यक्ष - प्रद्युमन सिंह

www.EducationLiB.com

उ **ग्राम सभा** :-

→ गाँव के पंजीकृत मतदाता मिलकर ग्राम सभा का गठन करते है।

→ यह एक आधाभूत इकाई है।

→ **बैठक की अध्यक्षता** :- सरपंच / उपसरपंच / ग्राम सभा द्वारा नियुक्त सदस्य।

→ 1 वर्ष में चार बैठक अनिवार्य है।

① 26 जनवरी ② 1 मई ③ 15 अगस्त ④ 2 अक्टूबर

★ ग्राम सभा के कार्य का लेखा जोखा **ग्राम विकास अधिकारी** रखता है।

उ **ग्राम पंचायत** :-

→ यह पंचायतीराज की सबसे छोटी इकाई है।

Scanned with OKEN Scanner

→ यह एक या एक से अधिक गांवो से मिलकर बनती है या इसका गठन किया जाता है।

→ जनसंख्या के आधार पर वार्डों में विभाजित होती है।

→ 3000 की जनसंख्या - 9 वार्ड

→ प्रत्येक वार्ड से वार्ड प्रतिनिधि नियुक्त - वार्ड पंच

→ ग्राम पंचायत का मुखिया - सरपंच

↓

इसका चुनाव प्रत्यक्ष मतप्रणाली से होता है।

* उपसरपंच - इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।

└→ चुनाव प्रक्रिया मे वार्ड पंच भाग लेते है।

→ ग्राम पंचायत के सदस्य अपना त्यागपत्र ग्राम विकास अधिकारी (B.D.O) को देते है।

⇒ बैठक - 15 दिन में 1 बैठक अनिवार्य।

↓

अध्यक्षता → सरपंच / उपसरपंच

⇒ प्रशासनिक अधिकारी → ग्राम अधिकारी (ग्राम सेवक)

3. पंचायत समिति :-

→ मध्यवर्ती संस्था है।

→ इसका कई ग्राम पंचायतो को मिलाकर गठन किया जाता है।

www.EducationLiB.com

Scanned with OKEN Scanner

→ पंचायत समिति को जनसंख्या के आधार पर वार्डों में बांटा गया है।

└→ वार्ड प्रतिनिधि – पंचायत समिति सदस्य।

↓

इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

→ एक लाख की जनसंख्या – 15 वार्ड

→ 15 हजार अतिरिक्त के लिए – 2 वार्ड

→ पंचायत समिति सदस्य अपने में से अप्रत्यक्ष चुनाव मतप्रणाली के माध्यम से प्रधान | उपप्रधान चुनते है।

→ शपथ सदस्यों को – पीठासीन अधिकारी

→ बैठक – दो माह में कम से कम एक बार।

→ पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रधान कहलाता है।

www. EducationLiB.com

→ लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के जनक – बलवंत राय मेहता

→ पंचायती राज संस्था हेतु पहली समिति का गठन →
बलवंत राय मेहता समिति (जनवरी 1957)

→ पंचायती राज संस्था के वास्तुकार | आर्किटेक →
बलवंत राय मेहता

* राजस्थान में पंचायती राज नियम लागु हुए – 30 दिसम्बर 1996

→ पंचायती राज संस्था हेतु – भाग – 9 में कुल अनुच्छेद 243 से 243(O) जोड़े।

Scanned with OKEN Scanner

→ अनुसूची 11 वीं जोड़ी गई

243 → ग्राम सभा की परिभाषा।

243(A) → ग्राम सभा के कार्य।

243 (B) → पंचायतो का गठन।

243 (C) → संरचना

243 (D) → आरक्षण

243 (E) → कार्यकाल / पदावधि

243 (F) → योग्यता

243 (G) → कार्य शक्ति उत्तरदायित्व

(पंचायती राज संस्थाओं को राजस्थान में वर्तमान में 29 कार्यों में से कार्य सौंपे है)

www.EducationLiB.com

243 (H) → कर

243 (I) → वित्त आयोग का गठन।

243 (J) → लेखा परीक्षाओं की जांच

243 (K) → राज्य निर्वाचन आयोग

243 (L) → केन्द्र शासित प्रदेशो में भी प्रावधान लागु होगें।

243 (M) → लागु नही होंगे।

243 (N) → विद्यमान पुर्व विधियों का बने रहना।

243 (O) → न्यायालय का हस्तक्षेप नही।

Scanned with OKEN Scanner

NOTE :- ① राजस्थान में पंचायती राज संस्था के चुनाव → 1960 में

② 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् चुनाव → 1995 में

चुनाव :-

- वार्ड पंच → प्रत्यक्ष
- सरपंच → प्रत्यक्ष
- उपसरपंच → अप्रत्यक्ष

★ पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव – प्रत्यक्ष

★ प्रधान व उपप्रधान – अप्रत्यक्ष

★ जिला परिषद् के सदस्य – प्रत्यक्ष

★ जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख – अप्रत्यक्ष

बैठक :-

★ पंचायत की बैठक – 15 दिन में एक बार

★ पंचायत समिति की बैठक – 1 माह में एक बार

★ जिला परिषद् की बैठक – 3 माह में एक बार

www.EducationLiB.com

Scanned with OKEN Scanner

⇁ त्यागपत्र :-

* वार्डपंच + उपसरपंच + सरपंच ⟶ विकास अधिकारी को।
* पंचायत समिति सदस्य व उपप्रधान ⟶ प्रधान को।
* 'प्रधान' अपना त्यागपत्र सौंपता है → जिला प्रमुख को।
* जिला परिषद् के सदस्य व उपजिला प्रमुख → जिला प्रमुख को
* 'जिला प्रमुख' अपना त्यागपत्र → संभागीय आयुक्त को।

⇁ महत्वपूर्ण तथ्य :-

www. EducationLib.com

* राजस्थान की पहली रियासत जिसने ग्राम पंचायतो के गठन हेतु कानून बनाया = बीकानेर (1928 में)
* पंचायती राज विभाग का वर्तमान नाम ↓ ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग
* 73 वें संविधान संशोधन से पहले चुनाव — 5 बार
* 73 वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान में चुनाव ↓ 6 बार
* अब तक कुल पंचायती राज संस्था के चुनाव - 11 बार
* इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान ↓ जयपुर (1987)
* आधुनिक राजस्थान के पंचायती राज संस्था के जनक ↳ राजीव गांधी

Scanned with OKEN Scanner

★ 73 वां संविधान संशोधन पारित हुआ - 1992 में

★ 73 वां संविधान संशोधन देश में लागु - 24 अप्रैल 1993

★ 73 वां संविधान संशोधन राजस्थान में लागु - 23 अप्रैल 1994

★ ग्राम सभा के परिभाषा का उल्लेख - 243 अनुच्छेद

★ स्थानीय स्वशासन किस का विषय है - राज्य सूची

★ राज्य सूची में सर्वप्रथम शामिल कब किया गया ↓

1935 के भारत शासन अधिनियम में

★ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष - मेजर आलोक राज

★ कोटा विश्वविद्यालय की कुलपति - नीलिमा सिंह

www.EducationLiB.com

जिला परिषद

→ पंचायतीराज की सर्वोच्च स्तरीय संस्था है।

→ प्रत्येक जिले में जिला परिषद होती है।

→ जिला परिषद में जिले की सभी पंचायत समितियां सम्मिलित होती हैं।

→ जनसंख्या के आधार पर अनेक वार्ड बनाये जाते हैं।

→ 4 लाख की जनसंख्या पर — 17 वार्ड

→ अतिरिक्त प्रति 1 लाख जनसंख्या पर — 2 वार्ड का गठन

Scanned with OKEN Scanner

→ प्रत्येक वार्ड से वार्ड प्रतिनिधि चुना जाता है।
  └→ प्रत्यक्ष रूप से – जिला परिषद् सदस्य

→ जिला परिषद् के सदस्य अपने में से अप्रत्यक्ष रूप से जिला प्रमुख / उप जिला प्रमुख का चुनाव करते है।

→ शपथ → ① सदस्य — पीठासीन अधिकारी
② जिला प्रमुख / उप-जिला प्रमुख – जिला कलेक्टर

→ त्यागपत्र → सदस्य / उप-जिला प्रमुख – जिला प्रमुख

→ बैठक → प्रति 3 माह में एक बैठक

→ प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी – मुख्य कार्यकारी अधिकारी
C.E.O — IAS

www.EducationLiB.com

Scanned with OKEN Scanner

उ नगरीय स्थानीय स्वशासन :-

- मद्रास में 1687 में नगर निगम की स्थापना।
- राज. में प्रथम नगर पालिका 1864 में मांउट आबू।
- नगरीय स्वशासन को 74वे सं.स. 1922 में संवैधानिक प्रावधान दिया गया।
  - * भाग - 9 क,
  - * अनुच्छेद - 243 (P) से 243 (Z-A)

www.EducationLiB.com

Scanned with OKEN Scanner

→ 12 वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें (18) विषय है।

→ नगरीय स्थानीय स्वशासन – राज्य सूची का विषय है।

→ देश में लागू – 1 जून 1993

→ राज. में 9 अगस्त 1994 को लागू किया।

→ नगरीय स्थानीय की 3 प्रकार की संस्थाएं –

① नगर पालिका – 20 हजार से 1 लाख

② नगर परिषद – 1 लाख से अधिक – 5 लाख

③ नगर निगम – 5 लाख से अधिक – 10 लाख

www.EducationLiB.com

नगर पालिका :-

→ जनसंख्या के आधार पर वार्डों में बांटा गया है –

↳ न्यूनतम – 13 वार्ड

→ प्रत्येक वार्ड से वार्ड प्रतिनिधि – पार्षद

→ पार्षद अपने में से सभापति व उपसभापति चुनते है।

नगर परिषद :-

→ वार्ड से प्रतिनिधि – पार्षद

→ पार्षद अपने में से सभापति व उपसभापति को चुनते है।

→ प्रशासनिक अधिकारी – आयुक्त

→ पार्षदों को शपथ – आयुक्त

→ त्याग पत्र – सभापति / उपसभापति

Scanned with OKEN Scanner

└→ बैठक - वर्ष में 2 बैठक अनिवार्य।

③ नगर निगम :-

- → 12 मनोनीत सदस्य - (एल्डरमैन)
- → वार्ड से प्रतिनिधि - पार्षद
- → निगम का प्रमुख - महापौर (मेयर)
- → शपथ - कमिश्नर दिलाता है।
- → प्रशासनिक अधिकारी - कमिश्नर
- → त्यागपत्र - महापौर / उपमहापौर को।

★ राजस्थान सरकार के स्वायत शासन विभाग के वर्तमान मंत्री

↓

झाबर सिंह खर्रा

www.EducationLIB.com

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान मानवाधिकार आयोग

★ राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन - धारा-21 के तहत

→ भारत में मानवाधिकारो की रक्षा के लिए 28 सितम्बर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 लागु हुआ।

★ राजस्थान की राज्य सरकार ने दिनांक 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के संबंध में जारी की।

★ मुख्यालय - जयपुर

★ वर्तमान अध्यक्ष - गोपाल कृष्ण व्यास

www. EducationLiB.com

★ योग्यता →

→ उच्च न्यायालय का सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया जा सकता है।

→ सदस्यों हेतु योग्यता → एक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत या वर्तमान न्यायाधीश या जिला न्यायालय का सेवानिवृत या वर्तमान न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव है।

★ नियुक्ति → (धारा-22)

→ राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यो की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, एक चयन समिति की सिफारिश पर। चयन समिति में 4 सदस्य होते है अध्यक्ष सहित। इस समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है।

Scanned with OKEN Scanner

★ त्यागपत्र → (धारा 23)

→ अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते है।

NOTE → राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यो को राष्ट्रपति हटाता है (न कि राज्यपाल)।

★ कार्यकाल → (धारा - 24)

→ वर्तमान में 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु इनमे से जो भी पहले हो। (2019 के संसोधन के बाद, इससे पूर्व 5/70 वर्ष था)।

www.EducationLB.com

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य :-

(1) यह एक सलाहकारी या परामर्शकारी निकाय है अर्थात इसकी सलाह न तो राज्य सरकार और न ही संबंधित अधिकारी पर बाध्यकारी है लेकिन सरकार, आयोग को बतायेगी। की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की।

(2) राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन मामलो की जाँच कर सकता है।

(3) यह किसी भी संस्था या लोकसेवको के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन मामले की जाँच कर सकता है लेकिन दण्ड या सजा नही दे सकता है।

(4) यह राज्य की कारागारो (जेलों) व बंदीग्रहो की स्थिति का निरीक्षण कर सकता है व इस बारे में सिफारिश कर सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

⑤ मानवाधिकारो के क्षेत्र में शोध व अनुसंधान एवं इसे प्रोत्साहित करना।

⑥ मानवाधिकारो के प्रति लोगो में चेतना जागृत करना तथा लोगो को इन अधिकारो के संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करना।

⑦ मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर स्वतः संज्ञान ले सकता है और जाँच प्रारम्भ कर सकता है।

⑧ मानवाधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक व विधिक उपबंधो की समीक्षा करना तथा इनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपायो की सिफारिश करना।

⑨ आंतकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना, जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तथा इनसे बचाव के उपायों की सिफारिश करना।

⑩ मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनो (NGO) को सहयोग एवं प्रोत्साहित करने के लिए यदि कोई अन्य कार्य आवश्यक हो, तो उसे संपन्न करना।

⑪ राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यक्रम में नागरिक, राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी मानवाधिकार आते है।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षो की सूची

1. कांताकुमारी भटनागर → 23 मार्च 2000 — 11 अगस्त 2000
2. सैय्यद सगीर अहमद → 16 फरवरी 2001 — 31 मार्च 2004
3. नगेन्द्र कुमार जैन → 16 जुलाई 2005 — 15 जुलाई 2010
4. प्रकाश टाटिया → 11 मार्च 2016 — 26 नवम्बर 2019
5. गोपालकृष्ण व्यास → 22 जनवरी 2021 से लगातार

www.EducationLiB.com

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व सदस्य →

1. अलामशाह खान → 24 मार्च 2000 — 16 मई 2003
2. बी. एल जोशी → 25 मार्च 2000 — 31 मार्च 2004
3. R.K अकोदिया → 25 मार्च 2000 — 24 मार्च 2005
4. अमरसिंह गोदारा → 7 जुलाई 2000 — 6 जुलाई 2005
5. नमोनारायण मीणा → 11 सितम्बर 2003 — 23 मार्च 2004
6. धर्मसिंह मीणा → 7 जुलाई 2005 — 6 जुलाई 2010
7. जगत सिंह → 10 अक्टूबर 2005 — 9 अक्टूबर 2010
8. पुखराज सिंघवी → 15 अप्रैल 2006 — 13 अप्रैल 2011
9. H.R. कुड़ी → 1 सितम्बर 2011 — 31 अगस्त 2016
10. M.K देवराजन → 1 सितम्बर 2011 — 31 अगस्त 2016
11. महेशचन्द्र शर्मा → 3 अक्टूबर 2018 — 29 अप्रैल 2021

www.EducationLiB.com

Scanned with OKEN Scanner

-:¦:- राजस्थान राज्य महिला आयोग -:¦:-

★ यह एक गैर-संवैधानिक निकाय। सांविधिक निकाय है।

★ यह परामर्शकारी निकाय है-
(जांच कर सकता है लेकिन दण्ड नही दे सकता)

☞ गठन :- 15 मई, 1999

☞ मुख्यालय :- जयपुर

★ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3 में संरचना का उल्लेख।

- संरचना → 1 अध्यक्ष + 4 सदस्य (सदस्य सचिव सहित)
- अध्यक्ष → रेहाना रियाज चिश्ती
- सचिव → मीनाक्षी मीणा

www.EducationLib.com

★ अध्यक्ष व सदस्यो के लिए किसी विशेष योग्यता का उल्लेख नही है, लेकिन आयोग की अध्यक्ष एक प्रसिद्ध महिला होनी चाहिए जिसे महिलाओं संबंधी मामलो का अनुभव हो।

★ आयोग के सदस्यों में से एक महिला सदस्य SC/ST की तथा एक OBC की होनी अनिवार्य है।

★ सदस्य सचिव RAS रैंक की अधिकारी होती है।

- कार्यकाल → 3 वर्ष
- गणपूर्ति → 3 व्यक्ति
- त्यागपत्र → राज्य सरकार को
- नियुक्ति → मुख्यमंत्री द्वारा

Scanned with OKEN Scanner

• बैठक - कम से कम 2 माह में 1 बार।

कार्य → राज्य महिला अधिनियम 1999 की धारा 11 मे उल्लेख मिलता है।

(1) महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अनुचित कृत्यो की जाँच करना। व राज्य सरकार को कार्यवाही हेतु अनुरोध करना।

(2) महिलाओं संबंधी वर्तमान कानूनो की समीक्षा करना व उनमे संशोधन की सिफारिश करना।

(3) महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार से सिफारिश करना।

(4) यह महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधो पर स्वतः संज्ञान ले सकता है।

राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्षो की सूची →

1. कांता कथूरिया → 25/05/1999 से 24/05/2002
2. प्रो. पवन सुराणा → 28/01/2003 से 27/01/2006
3. तारा भण्डारी → 15/04/2006 से 14/04/2009
4. मीरा महर्षि → 17/10/2009 से 18/08/2010
5. सरिता सिंह → 24/03/2011 से 23/11/2011
6. लाडकुमारी जैन → 24/11/2011 से 23/11/202014
7. सुमन शर्मा → 20/10/2015 से 19/10/2018
8. रेहाना रियाज चिश्ती → 11/02/2022 से 10/02/2025

www.EducationLiB.com

Scanned with OKEN Scanner

महत्वपूर्ण तथ्य :-

- संविधान के भाग-3 अनुच्छेद 15(3) के अन्तर्गत महिलाओ के लिए संवैधानिक प्रावधान किये गये है।
- UNO ने 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया।
- UNO ने 1976-85 को महिला दशक घोषित किया।
- UNO ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को घोषित किया।
- महिला सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि – 1979 में जिस पर भारत ने हस्ताक्षर 1993 में।
- राष्ट्रीय महिला नीति 1996, राजस्थान राज्य महिला नीति → 8 मार्च 2000
- केरल के बाद राजस्थान दूसरा राज्य बना जिसने राज्य महिला आयोग को अभियोजन का अधिकार दिया।
- विशाखा वाद – 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाईड लाइन के आधार पर 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न' (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम, 2013) बनाया गया है।

www.EducationLiB.com

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

→ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय-4 एवं धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है।

→ राज्य सूचना आयोग एक सर्वाधिक व पूर्णतया स्वायत: शासी निकाय है।

- **गठन** → 13 अप्रैल 2006 को लेकिन प्रभावी 18 अप्रैल 2006 से हुआ।

- **मुख्यालय** → जयपुर

- **संरचना** → यह एक बहुसदस्यीय निकाय है (1+10) आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा आवश्यकतानुसार अन्य सूचना आयुक्त होते है। वर्तमान में (1+4) है।

- **वर्तमान सूचना आयुक्त** → मोहनलाल लाठर

- **नियुक्ति** →

  → मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तो की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, एक तीन सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है।

★ **चयन समिति** →

1. मुख्यमंत्री (अध्यक्ष)
2. विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता।
3. मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री।

www.EducationLiB.com

Scanned with OKEN Scanner

• योग्यता →

① राज्य सूचना आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों को सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए तथा उन्हे विधि, प्रशासन, समाज सेवा, वैज्ञानिक, जनसंचार आदि का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए।

② विधानमण्डल व संसद का सदस्य नही होना चाहिए।

③ केन्द्र या राज्य सरकार में लाभ के पद पर ना हो।

④ कोई कारोबार या वृति नही करेगा।

• कार्यकाल →

└→ इसका निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा। (2019 मे संशोधन से पूर्व 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनो में से जो भी पहले है।)

www.EducationLiB.com

• शपथ →

└→ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व सदस्यों को शपथ को राज्यपाल था उनके द्वारा इस हेतु नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है।

• त्यागपत्र → राज्यपाल को।

• महत्वपूर्ण तथ्य →

① सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सूचना आयुक्त = M.D कोरानी

② न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सूचना आयुक्त = सुरेश कुमार चौधरी

③ टी. श्रीनिवासन मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त दोनों पदो पर रहे।

Scanned with OKEN Scanner

संगठनात्मक ढाँचा →

- **राजस्थान राज्य सूचना आयोग**
  - (राज्य मुख्य सूचना आयुक्त)
    - राज्य सूचना आयुक्त (प्रथम)
    - राज्य सूचना आयुक्त (द्वितीय)
      - विशेषाधिकारी एवं पंजीयक
        - उप पंजीयक (अपील्स)
      - सचिव
        - उपसचिव
          - कार्यालय स्टॉफ
            - (लेखा, अपील, परिवाद, संस्थापन, डाक आवक-जावक आदि अनुभाग)
        - प्रशासनिक अधिकारी
        - सांख्यिकी अधिकारी
        - प्रोग्रामर
    - राज्य सूचना आयुक्त (तृतीय)
    - राज्य सूचना आयुक्त (चतुर्थ)

www.EducationLiB.com

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान राज्य वित्त आयोग

- 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
- राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है।
- राजस्थान के प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल, 1994 को, जिसने 1 अप्रैल 1995 से कार्य प्रारम्भ किया।
- राजस्थान राज्य वित्त आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष व अधिकतम चार सदस्य हो सकते है।

www.EducationLiB.com

नियुक्ति →

राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यो की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से।
(सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल करता है)

कार्यकाल →

5 वर्ष (इसमें अधिकतम व न्यूनतम आयु का प्रावधान नही है)

योग्यता →

- दो सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए।
- एक सदस्य लेखा मामलो का विशेषज्ञ होना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

- एक सदस्य आर्थिक मामलो का विशेषज्ञ होना चाहिए।
- अध्यक्ष पद हेतु किसी विशेष योग्यता का उल्लेख नही। केवल सामाजिक जीवन का पर्याप्त अनुभवी व्यक्ति हो।

त्यागपत्र →

↳ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते है।

राज्य वित्त आयोग के कार्य →

1. राज्य सरकार को प्राप्त राजस्व आय (शुल्क, कर, चुंगी) में से पंचायतीराज व नगर निकायो के मध्य धन का वितरण।
2. स्थानीय निकायो द्वारा कौन-कौन से कर, चुंगी, टोल, शुल्क का संग्रहण किया जाना चाहिए, उसकी सिफारिश करता है।
3. राज्य की संचित निधि में से कितना अनुदान स्थानीय निकायो को दिया जाये इसकी सिफारिश करता है।
4. यह आयोग स्थानीय निकायों की वित्तिय स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करता है।
5. केन्द्र व राज्यो के बीच वित्तिय संबंधो मे मध्यस्थतता करता है यह केन्द्रीय वित्त आयोग को सिफारिश करता है, स्थानीय निकायों को सुदृढ करने की।
6. राज्यपाल द्वारा सौंपे गये अन्य कृत्यों का संपादन करता है।

www.EducationLIB.com

Scanned with OKEN Scanner

3. राजस्थान में अब तक 6 वित्त आयोगो का गठन हो चुका है-

(i) प्रथम वित्त आयोग

→ कार्यकाल - 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000

→ अध्यक्ष - कृष्णकुमार गोयल

(2) दुसरा वित्त आयोग →

→ कार्यकाल - 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005

→ अध्यक्ष - हीरालाल देवपुरा

(3) तीसरा वित्त आयोग →

→ कार्यकाल - 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010

→ अध्यक्ष - माणिकचंद सुराणा

(4) चौथा वित्त आयोग →

→ कार्यकाल - 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015

→ अध्यक्ष - बी.डी. कल्ला

(5) पांचवा वित्त आयोग →

→ कार्यकाल - 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020

→ अध्यक्ष - डॉ. ज्योति किरण

(6) छठा वित्त आयोग → (वर्तमान)

→ कार्यकाल - 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025

→ अध्यक्ष - प्रद्युम्न सिंह

www.EducationLiB.com

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

- 73 वे तथा 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत स्थानीय निकायों (पंचायतीराज एवं नगरीय संस्थाओ) में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने तथा चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने हेतु भाग-9 व भाग-9(क) में राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है।
- राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक व स्वतंत्र निकाय है
- राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा -120 के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का आदेश 17 जून 1994 को तथा कार्य प्रारम्भ 1 जुलाई 1994 से किया।
- राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय - जयपुर
- राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग 'एक सदस्यीय निकाय' है।

संरचना →

मुख्य निर्वाचन आयुक्त
↓
मुख्य निर्वाचन अधिकारी या सचिव
↓
उपसचिव
↓
सहायक सचिव
↓
जिला निर्वाचन अधिकारी
↓
रिटर्निंग ऑफिसर

www.EducationLiB.com

Scanned with OKEN Scanner

↓

सहायक रिटर्निंग ऑफिसर

↓

बूथ लेवल ऑफिसर

→ राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है जो प्रधान या अपर मुख्य सचिव के समकक्ष पद का होता है।

☞ नियुक्ति →

→ राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की ~~कार्यकाल~~ नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से।

☞ कार्यकाल →

→ राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदग्रहण से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, उस तक होता है।

☞ त्यागपत्र →

→ राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है।

☞ पद से हटाने की प्रक्रिया → राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। (संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति द्वारा।)

www.EducationLIB.com

Scanned with OKEN Scanner

☞ राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य →

① चुनाव चिन्हो का आंवटन व उससे संबंधी विवादो का निवारण करना।

② स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना (आम चुनाव, उपचुनाव) तथा चुनावो का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करना।

③ चुनाव संबंधी शिकायतो की पुष्टि होने पर चुनाव स्थगित कराना। उसके इस अधिकार को किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती।

④ असाधारण परिस्थितियों में पुनर्मतदान करा सकता है।

⑤ मतदाता सूचियो को तैयार करना, उनमे संशोधन करना।

⑥ आदर्श आचार संहिता लागु करना।

⑦ परिसीमन व आरक्षण संबंधी कार्य।

⑧ यदि राज्य विधानमण्डल कोई अन्य काम सौंपे तो वह भी करना।

www.EducationLib.com

☞ राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्तो की सूची →

① अमरसिंह राठौड़ – 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2000

② नेकराम भसीन – 2 जुलाई 2000 से 2 जुलाई 2002

③ इन्द्रजीत खन्ना – 26 दिसम्बर 2002 से 26 दिसम्बर 2007

④ अशोक कुमार पाण्डे – 1 अक्टूबर 2008 से 30 सितम्बर 2013

⑤ रामलुभाया – 1 अक्टूबर 2013 से 2 अप्रेल 2017

⑥ प्रेमसिंह मेहरा – 2 जुलाई 2017 से 3 जुलाई 2022

⑦ मधुकर गुप्ता – 14 अगस्त 2022 से निरन्तर....

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान लोक सेवा आयोग

- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तर्ज पर राज्यों में लोक सेवा आयोग है।
- संविधान के भाग - 14, अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, सेवा शर्तों, शक्तियों का उल्लेख है।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग का विनियमन 1974 में राज्यपाल द्वारा पारित।
- 22 दिसम्बर को राजस्थान लोक सेवा आयोग का स्थापना दिवस मनाया जाता है।
- 22 दिसम्बर 1949 को लोक सेवा आयोग (RPSC) ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया।
- लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जयपुर था लेकिन पी. सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 01 नवम्बर 1956 को इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया।
- 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है।
- RPSC के प्रथम अध्यक्ष - एस. के. घोष
- RPSC के वर्तमान अध्यक्ष - कैलाश चंद मीणा
- सर्वाधिक कार्यकाल वाले RPSC के चैयरमैन - देवीशंकर तिवाड़ी
- न्यूनतम कार्यकाल वाले RPSC के चैयरमैन - B.L रावत
- N. K बैरवा राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष व सचिव दोनों पद पर रहे।

www.EducationLiB.com

Scanned with OKEN Scanner

↳ RPSC के इतिहास में अब तक 7 महिला सदस्य रही है- लेकिन एक भी महिला RPSC की अध्यक्ष नही बनी।

(i) कांता कथूरिया (ii) कमला भील
(iii) प्रकाशवती शर्मा (iv) दिव्या सिंह
(v) राजकुमारी गुर्जर (vi) संगीता आर्य
(vii) मंजु शर्मा

(NOTE) → श्रीमती कांता कथूरिया एवं प्रकाशवती शर्मा RPSC व UPSC दोनो की सदस्य रही है।

www.EducationLiB.com

☞ अनुच्छेद 315 → राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान

↓

अनु. 315(1) → प्रत्येक राज्य मे एक लोक सेवा आयोग (PSC) होगा, जिसका गठन राज्यपाल द्वारा, गठन के लिए विधि राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई जायेगी।

☞ अनुच्छेद - 316 → अध्यक्ष व सदस्यो की नियुक्ति और पदावधि का उल्लेख।

↓

अनु. 316(1) → नियुक्ति का प्रावधान।

↳ RPSC के अध्यक्ष व सदस्यो की नियुक्ति राज्यपाल करता है।

★ RPSC की स्थापना के समय एक अध्यक्ष व दो सदस्य थे (अध्यक्ष - एस. के घोष) 2011 मे बढ़ाकर 1 अध्यक्ष व 7 सदस्य (कुल - 8) कर दिये।

Scanned with OKEN Scanner

☞ योग्यता →

→ RPSC के आधे सदस्य (50%) ऐसे होंगे जिन्हे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष की प्रशासनिक सेवा का अनुभव हो।

→ RPSC के आधे सदस्य (50%) सामान्यत: राजनैतिक, शिक्षा, कानून, समाज सेवा क्षेत्र से होते है। आयोग के अध्यक्ष पद की योग्यता के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नही है।

☞ अनुच्छेद 316(2) → पदावधि (कार्यकाल)

→ 6 वर्ष का कार्यकाल व 62 वर्ष की सेवानिवृति की आयु इन दोनो में से जो भी पहले हो।

→ 41 वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा RPSC के अध्यक्ष व सदस्यो की सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष से बढाकर 62 वर्ष कर दी गई।

☞ अनुच्छेद 316(2क) → त्यागपत्र

→ RPSC के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते है।

☞ अनुच्छेद 316(3) → लोक सेवा आयोग के सदस्य कार्यकाल समाप्ति के बाद उसी पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नही होगा।

www.EducationiB.com

Scanned with OKEN Scanner

☞ **अनुच्छेद (317)** →

→ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यो की बर्खास्तगी और निलबंन का प्रावधान।

☞ **अनुच्छेद -(318)** →

→ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा - शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति का प्रावधान।

☞ **अनुच्छेद (319)** →

→ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृति के बाद पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध का प्रावधान।

www.EducationLIB.com

☞ **अनुच्छेद (320)** → लोक सेवा आयोग के कार्य | कर्तव्य।

↓

1. राज्य की सेवाओ में नियुक्तियां के लिए परीक्षाओ का संचालन तथा योग्य उम्मीदवारें का चयन।
2. सिविल सेवाओं में और सिविल पदो के लिए भर्ती पद्धति से संबंधित सभी विषयो पर सिफारिश।
3. लोक सेवको के पदोन्नति हेतु सिफारिश।
4. अनुशासनात्मक कार्यवाही पर परामर्श देना।
5. एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण होने पर परामर्श देने का कार्य।
6. लोक सेवको द्वारा किए गए कार्यों के दावों के संबंध में।
7. पेंशन के संबंध में। क्षतिपूर्ति के मामलो में परामर्श।

Scanned with OKEN Scanner